



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

इंटरमीडिएट ढकषा में नामांकन हेतु सीट से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञापित संख्या - 52/2018

एतद् द्वारा राज्य के अंगीभूत/अल्पसंख्यक/डिग्री सम्बद्ध/स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालय के प्राचार्यों एवं अभिभावकों/छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2016-2018 एवं 2017-19 के लिए महाविद्यालय में जिन-जिन संकायों में जितनी संख्या में सीट की स्वीकृति दी गई है, वह संख्या शिक्षा सत्र 2018-20 के लिए भी यथावत बनी रहेगी।

साथ ही राज्य के सभी सरकारी +2 विद्यालय के प्रधान को भी एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सभी सरकारी +2 विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के नामांकन के लिए सीटों की बाध्यता अर्थात् 128 सीट (एक यूनिट) का कोई बंधेज नहीं है। फलस्वरूप सभी सरकारी +2 विद्यालयों में स्थानीय आवश्यकतानुसार 128 सीट से अधिक छात्र/छात्राओं का भी नामांकन लिया जा सकेगा।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

(रजनीकान्त वर्मा)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/3611/18-SECY-448/18

Dt. 09.08.2018

D.O.P. 10.08.2018

